निग. / 2677 / III / 15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अनूपपुर

विमला बाई पुत्री स्व. श्री भोदल निवासी–
ग्राम देवरी, तहसील व जिला अनूपपुर
(म.प्र.) –– अपीलार्थी

विरूद्ध

1– कोदुआ महरा पुत्र मायाराम महरा
2– बच्चू पुत्र मायाराम महरा
3– सुखलाल पुत्र मायाराम महरा
4– केमली पुत्री चुनुआ महरा
5– चोरसिया पुत्र पुनुआ महरा
दलुआ पुत्र दद्दी महरा मृत द्वारा वारिसान
6– गल्फी पत्नी मंयकू महरा
7– नानबाई बेवा लल्ले महरा
8– भाला प्रसाद पुत्र लल्ले महरा
जगदेव पुत्र बुटानी महरा मृत
9– श्यामलाल पुत्र बुटानी महरा
10– दीनदयाल पुत्र बुटानी महरा
शोभा पुत्र ग्यादीन महरा मृत द्वारा
वारिसान महिपाल पुत्र शोभा महरा
11– वद्रीप्रसाद पुत्र माले महरा
12– अन्नुप्रसाद पुत्र मोले महरा
13– बब्बू पुत्र मनोहरा महरा
14– रामपदारथ पुत्र मनोहरा महरा
15– नानबाई पुत्री बुटानी महरा
16– दीपा पुत्री लल्ले महरा
सभी निवासी – ग्राम देवरी तहसील व
जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
17– साभौता पुत्री रघुवर महरा पत्नी मौले
महरा निवासी – बरगवां तहसील व
जिला अनूपपुर म.प्र.
18– छविलाल पुत्र रघुवर महरा
निवासी – ग्राम देवरी तहसील व
जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

–– प्रत्यर्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 18.8.15 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

18/8/15

न्यायालय कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/ए–74/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2677–तीन/2015 जिला अनूपपुर

विमला बाई विरूद्ध कोदुआ महरा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 59/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील एक बार पुर्नस्थापित किये जाने के बाद पुनः संहिता की धारा 35(3) पुनःपुर्नस्थापना की व्यवस्था विधि में न होने से निरस्त की है। आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि उनके अभिभाषक सिविल न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। संहिता की धारा 35(3) में यह समावेश नहीं है कि एक बार प्रकरण पुर्नस्थापित होने के पश्चात पुनः पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता। आवेदक अभिभाषक अभिभाषक द्वारा उठाया गया आधार उचित प्रतीत होता है अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–6–2015 निरस्त किया जाता है प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ	

प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये तो उन पर विचार कर गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये। प्रकरण का निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य